न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
40 / 2018 / प्रार्थना पत्र	05.03.2018	23.03.2018

उनवान

नानूदेवी पत्नि महादेव गुर्जर निवासी बालापुरा तहसील फूलियाकलां
– प्रार्थिया

बनाम

1– मदनदास पिता रामरतन वैष्णव निवासी नया सरसुन्दा तह0 फूलियाकलां
2– भैरू पिता खाना सैन निवासी नया सरसुन्दा तह0 फूलियाकलां
3– भागीरथ पिता राजू भील निवासी नया सरसुन्दा तह0 फूलियाकलां
4– सोलू पिता हजारी भील निवासी बह का खेड़ा तह0 शाहपुरा
– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम पुराना सरसुन्दा पटवार हल्का अरवड़ पेटा तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थिया के खातेदारी की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 33 आ0न0 348 रकबा 0.57 है0, आ0न0 466 रकबा 0.97 है0, आराजी कुल किता 02 रकबा 1.54 है0 भूमि स्थित है। पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थिया की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 22.03.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1

लगायत 4 के विरूद्व दिनांक 23.03.2018 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थिया के अभिभाषक ने बहस करनी चाही जिससे उनकी एक तरफा बहस सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम पुराना सरसुन्दा पटवार मण्डल अरवड़ पेटा संवत 2070 से 73 के खाता संख्या 33 आ0न0 348 रकबा 0.57 है0, आ0न0 466 रकबा 0.97 है0, आराजी कुल किता 02 रकबा 1.54 है0 के प्रार्थिया खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम पुराना सरसुन्दा पटवार हल्का अरवड़ पेटा तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 33 आ0न0 348 रकबा 0.57 है0, आ0न0 466 रकबा 0.97 है0, आराजी कुल किता 02 रकबा 1.54 है0 के प्रार्थिया के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे ऑफ सीजन मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 600/- (अक्षरे छः सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थिया से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 23.03.2018 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
फूलिया कलाँ जिला–भीलवाड़ा